खतरनाक माल को छोड़कर जानवरों/या सामान्य वस्तुओं के लिए अग्रेषण-नोट

वाणिज्य एफ 4/एस. एन. 68
Com. F. 4/SN 68
(Includes SN-68)

FORWARDING NOTE FOR ANIMALS/OR GENERAL MERCHANDISE OTHER THAN DANGEROUS GOODS

(रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 64 के अधीन सभी रेलों पर उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित)

(Approved by the Central Government for use on all Railways under Section 64 of the Railways Act, 1989) (24 of 1989)

सेवा में स्टेशन मास्टर ..... स्टेशन ..... रेलवे
To the Station Master..... Station..... Railway

कृपया अधोलिखित परेषण प्राप्त करें और नीचे यथा प्रेषित ..... रेलवे के ..... स्टेशन को मालगाड़ी और/अथवा मिश्रित गाड़ी*/सवारी और/या मिश्रित गाड़ी *द्वारा भेजें.
Please receive the undermentioned consignment and forward by Goods and/or Mixed Train*/Coaching and/or Mixed Train* to.....Station on the.....Railway as consigned below :—

भेजने वाला By whom consigned		पाने वाला To whom consigned		स्टेशन को Station to	वस्तुओं की संख्या No. of articles	विवरण और निजी मार्क Description and Private Marks	भेजने वाले के अनुसार माल का भार Sender's Weight		दत्त/देय भाड़ा Freight Paid/To-pay
नाम Name	पता Address	नाम Name	पता Address				क्विंटल Qtls.	किलोग्राम Kgs.	

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस बात की स्वयं संतुष्टि कर ली है कि मेरे द्वारा परेषित माल का विवरण, मार्का और वैजन अथवा मात्रा इस अग्रेषित नोट में सही-सही दर्ज की गयी है.
I do hereby certify that I have satisfied myself that the description, marks and weight or quantity of goods consigned by me have been correctly entered in this Forwarding Note.

† (1) मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक हाथी/घोड़े/खच्चर/ऊंट/सींग वाले जानवर/भेड़/बकरी/कुत्ते/अन्य जानवर और पक्षी का मूल्य .....रु. है और मैं बढ़े हुए जोखिम के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्राधिकृत प्रतिशत प्रभार संदाय करने के लिए वचन देता हूं।
I declare the value of these* elephants/horses/mules/camels/horned cattle, donkeys, sheep/goats, dogs, other animals and birds to be Rs.....per head and engage to pay the authorised percentage charge on excess value for the increased risk.

† (2) मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक परेषण.....रु. मूल्य का है और मैं प्रशासन द्वारा यथापेक्षित बढ़े हुए जोखिम के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदाय करने के लिए वचन देता हूं/वचन नहीं देता हूं. (प्रत्येक पैकेज में रखी गयी वस्तु और विवरण तथा इसके मूल्य का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए).
I declare that each consignment is of a value of Rs..... .....and engage*/ do not engage* to pay the percentage charge on excess value for the increased risk, as required by the Administration. (Description and contents in each package and its value should be specifically mentioned)

† (3) मैं घोषणा करता हूं कि इस अग्रेषण नोट के साथ प्रदत्त पैकेजों में रेल (वित्तीय दायित्व एवं प्रतिशत प्रभार निर्धारण की सीमा) नियम, 1990 की अनुसूची II के भाग I में विनायी गयी निम्नलिखित वस्तुएं हैं और मैं प्रशासन द्वारा यथापेक्षित बढ़े हुए जोखिम के लिए अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदाय करने के लिए वचन देता हूं।
I declare that the packages tendered with this Forwarding Note contain the undermentioned articles enumerated in Part I of Schedule II of the Railways (Extent of Monetary Liability & Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990, the value of which is also shown below and I engage to pay the percentage charges on excess value for increased risk as required by the Administration.

† (4) भीतरी पैकिंग के लिए लागू शर्तों का पालन किया गया*/नहीं किया गया है. Internal packing condition IP/-applicable has been*/has not been complied with.

† (5) बाहरी पैकिंग में निम्नलिखित खराबी है Outer packing is defective as follows :—

† (6) परेषण निम्नलिखित रूप में खराब हालत में है The consignment is in bad condition as follows :—

† (7) ..... वस्तु पर लागू होने वाली पैकिंग की अनिवार्य शर्तों का पालन किया गया है Compulsory packing condition IP/- and P/applicable to the commodity..... have been complied with.

† (8) वैकल्पिक रेल जोखिम और मालिक की जोखिम दर उपलब्ध होने पर, मैं .....दरें संदाय करने को सहमत हूं. Alternative railway risk and owner's risk rate being available, I elect to pay the.....rates.

† (9) मेरे अनुरोध पर ..... के रास्ते (अधिक भाड़े वाले रास्ते से) भेजा जाये To be forwarded via.....(a dearer route)* at my request.

† (10) सबसे सस्ता रास्ता पूर्ण/आंशिक *बंद होने पर, के रास्ते का प्रभार लिया जाये जो उसके बाद का सबसे सस्ता खुला मार्ग है. The cheapest route being closed*/partially closed* to be charged via.....the next cheapest open route.

† (11) मेरे अनुरोध पर परेषण को खुले माल-डिब्बा*/वाहन*/जहाज* में प्रेषित किया जाये At my request the consignment is despatched in open wagon*/vehicle*/vessel*

*जो लागू न हो उसे काट दें. Strike out where inapplicable.

उपरोक्त के बावजूद मैं माल को बुक करने तथा महंगे मार्ग का माल भाड़ा संदाय करने के लिए सहमत हूं। यदि रेल प्रशासन रेल अधिनियम, (1989 का 24) की धारा 71 के अधीन ऐसा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत है Notwithstanding the above, I agree to book the goods and pay freight by dearer route if the Railway Administration is authorised by the Central Govt. to do so under Section 71 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

प्रेषक अथवा उसके एजेंट के हस्ताक्षर Signature of the sender or his agent.....
दिनांक Dated.....पता Address.....

†इस फार्म पर हस्ताक्षर करने से पहले जो कोई खंड लागू न हो, उसे काट दें. Strike out any clause inapplicable before signing this form.

प्रेषक अथवा उसके एजेंट का ध्यान रेल द्वारा माल के वहन के लिए लागू उन मुख्य निबंधनों एवं शर्तों की ओर दिलाया जाता है जो बुकिंग के समय लागू रेल माल एवं कोचिंग दर सूची और व्याख्यात्मक नोट के पिछले भाग में बतायी गयी है. The attention of the sender or his agent is invited to the principal terms and conditions applying to the carriage of goods by Railway which are set forth in the Railway's Goods & Coaching Tariff in force at the time of booking and the explanatory note on the back hereof.

टिप्पणी :- उपरोक्त प्रविष्टियों में किये गये परिवर्द्धनों अथवा परिवर्तनों पर प्रेषक अथवा उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं आद्याक्षर नहीं Note :—Additions or alterations made in the above entries must be signed, not initialled, by the sender or his agent.

कृ. पृ. उ. P.T.O.

(निम्नलिखित फार्म केवल रेल कर्मचारियों द्वारा भरा जाये)
(The form below to be filled in by the Railway staff only)

वस्तुओं की संख्या No. of articles	विवरण Description	वजन Weight	
		क्विंटल Qtls.	किलोग्राम Kgs.

दिनांक Dated..... का अग्रेषण नोट संख्या Forwarding Note .....
दिनांक Dated..... को द्वारा जांच की गई Checked by .....
दिनांक Dated..... को द्वारा वजन किया गया Weighed by .....
दिनांक Dated..... को द्वारा लादा गया Loaded by .....
दिनांक Dated..... को द्वारा बीजक बनाया गया Invoiced by .....
जोखिम Risk.....
के रास्ते से लाया जाये To be carried via.....
के रास्ते का प्रभार लगाया जाये To be charged via.....

विवरण Description	वस्तुओं की संख्या No. of articles	मार्का Marks	वास्तविक वजन Actual weight		वजन जिसका प्रभार लिया गया Weight Charged		श्रेणी Class	प्रति क्विंटल दर Rate per Qtl.		दत्त Paid		देय To-pay		रसीद संख्या Receipt No.	बीजक Invoice		माल डिब्बों का ब्यौरा Particulars of Wagons			
			क्विंटल Qtls.	किलो ग्राम Kgs.	क्विंटल Qtls.	किलो ग्राम Kgs.		रु. Rs.	पैसे P.	रु. Rs.	पैसे P.	रु. Rs.	पैसे P.		संख्या No.	तारीख Date	संख्या और किस्म No. & type	मालिक रेलवे Owning Railway	वहन क्षमता C.C.	फर्श का क्षेत्रफल Floor Area

व्याख्यात्मक टिप्पणी EXPLANATORY NOTE

1. जानवरों के खो जाने, मर जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रेल प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रति हाथी के मामले में 6, 000/–रु. प्रति घोड़ा 3, 000 –रु., प्रति खच्चर, सींग वाले पशु अथवा ऊंट 800/–रु. , प्रति कुत्ता, गधा, बकरी, सुअर, भेड़ अथवा अन्य पशु 120/– रु. से अधिक तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि दूसरे और खंड 1 में उच्चतर मूल्य घोषित नहीं कर दिया जाता और अतिरिक्त मूल्य पर अपेक्षित प्रतिशत प्रभार संदाय करने का वचन नहीं दे दिया जाता. यदि अधिक मूल्य की कोई घोषणा नहीं की जाती है तो प्रेषक अथवा उसके एजेंट को चाहिए कि वे संपूर्ण खंड को काट दें. रेल प्रशासन ऐसी किसी नुकसानी अथवा हानि के लिए दायी नहीं होगा जो, इसके बावजूद कि प्रेषक ने अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदाय किया है या नहीं, माल भाड़े अथवा किसी पशु अथवा पक्षी के अड़ियलपन से अथवा प्रेषक अथवा उसके एजेंट द्वारा माल डिब्बा में किये गये अधिक लदान से हुई हो The responsibility of a Railway Administration for loss, destruction or deterioration of the animals shall not exceed in the case of elephants Rs. 6,000 per head, horses Rs. 3,000 per head, mules, horned cattle or camels Rs. 800 per head, dogs, donkeys, pigs, sheep or other animals or birds Rs. 120 per head, unless a higher value is declared in Clause 1 overleaf and an engagement entered into to pay the required percentage charge on excess value. The entire Clause should be struck out by the sender or his agent if no declaration of higher value is made. Railway Administration will not be liable for damage or loss arising from fright or restiveness of any animals or birds or from overloading of wagon by the consignor or his Agent irrespective of whether the sender has paid the percentage charge on excess value or not.
2. जब तक कि प्रेषक दूसरी ओर के खंड (2) और (3) में किसी परेषण का मूल्य घोषित नहीं करता और रेल (वित्तीय दायित्व और प्रतिशत प्रभार निर्धारण की सीमा) नियम , 1990 द्वारा यथापेक्षित अतिरिक्त मूल्य पर प्रतिशत प्रभार संदाय नहीं करता, परेषण की हानि, विनाश, नुकसानी, क्षतिग्रस्त तथा अ–सुपुर्दगी के लिए रेल प्रशासन के वित्तीय दायित्व की रकम की अधिकतम सीमा नहीं बढ़ेगी. Unless the consignor declares in clause (2) & (3) overleaf the value of any consignment and pays percentage charge on excess value as required by Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990 the maximum limit of amount of monetary liability of Railway Administration for loss, destruction, damage, deterioration and non-delivery of the consignment shall not exceed;
   (क) व्यक्तिगत सामान के रूप में बुक किये गये परेषणों के संबंध में 100 रुपये प्रति किलो ग्राम. (a) Rs. 100 per kg. in respect of consignments booked as personal baggage;
   (ख) जानवरों और व्यक्तिगत सामान से भिन्न परेषणों के संबंध में 50 रु. प्रति किलो ग्राम. (b) Rs. 50 per kg. in respect of consignments other than animals and personal baggage.
3. कोई भी रेल प्रशासन रेल (वित्तीय दायित्व और प्रतिशत प्रभार निर्धारण की सीमा) नियम, 1990 की अनुसूची–II के भाग–I में विनिर्दिष्ट माल वहन करना तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि प्रेषक ऐसे माल का मूल्य घोषित नहीं कर देता और ऐसे माल के लिए यथा–लागू प्रतिशत प्रभार संदाय नहीं कर देता No Railway Administration shall accept for carriage, the goods specified in Part-I of Schedule II of Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990, unless the consignor declares the value of such goods and pays percentage c as applicable to such goods.
4. जहां कहीं दर सूची में किसी वस्तु के लिए भीतरी पैकिंग शर्त दर्शायी गयी है, तो यह तथ्य कि निर्धारित भीतरी पैकिंग की व्यवस्था की गयी है या नहीं, पिछले पृष्ठ के खंड (4) में रिकार्ड किया जाना चाहिए. परेषण परिवहन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछले पृष्ठ के खंड (4) के अनुसार घोषणा रिकार्ड नहीं कर ली जाती.
   Wherever internal packing condition has been shown in the Tariff against a commodity the fact whether the internal packing prescribed has been provided or not, should be recorded in Clause (4) overleaf. The consignment will not be accepted for carriage unless the declaration as per Clause
5. [illegible] के अनुसार पैक नहीं किया जाएगा उसे परिवहन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि दोष का स्वरूप जैसे "रेल नियमों के अनुसार पैक नहीं किया गया", "दो पेटियों के तख्ते टूटे हुए हैं", "12 ड्रमों से रिसाव हो रहा है" आदि आदि को पिछले [illegible] रिकार्ड नहीं किया जाता है A consignment not packed in accordance with the Railway rules will not be accepted for carriage unless the nature of the defect e.g. "not packed as per Railway rules" "2 cases plank broken" "12 Drums leaky", etc. etc. are recorded [illegible]
6. वह परेषण, जो कि पहले से ही बुरी हालत में है, परिवहन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी सही स्थिति जैसे "गांठ ढीली हुई है", "माल में बदबू आ रही है" आदि आदि को पिछले पृष्ठ के खंड (6) में रिकार्ड नहीं किया जाता है. A consignment which is already in bad condition will not be accepted for carriage unless the exact condition e.g. "bales wet" "contents smelling" etc. etc. is recorded in Clause (6) overleaf.
7. जहां कहीं दर सूची में किसी वस्तु के लिए कोई अनिवार्य पैकिंग की शर्त दर्शायी गयी है, तो परेषण को परिवहन के लिए तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्धारित भीतरी और बाहरी पैकिंग की शर्तों का पालन न किया गया हो और पिछले पृष्ठ के खंड (7) के अनुसार घोषणा रिकार्ड न की गयी हो.
   Wherever a compulsory packing condition [illegible] the consignment will not be accepted for carriage unless the internal and outer packing conditions prescribed have been complied with and the declaration as per Clause (7) overleaf, is recorded.
8. दर वैकल्पिक रेल जोखिम और [illegible] दरों को बताती है तब भारतर जोखिम दर तब तक नहीं लागू होगी जब तक कि प्रेषक, पिछले पृष्ठ के खंड (8) में "रेल जोखिम" शब्दों को दर्ज नहीं करता जब तक वह सबसे अधिक प्रभार संदाय करेगा अथवा संदाय करने का वचन देगा और इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा.
   When alternative railway risk and "Owners risk" rates are quoted, the latter will apply unless the sender, in clause (8) overleaf enters the words "Railway risk" when he will pay or engage to pay the higher charge and will receive a certificate.
9. प्रेषक के अनुरोध पर, जब परेषण को सबसे कम दूरी के रास्ते से भिन्न दूसरे रास्ते से भेजा जाना है तो जिस मार्ग से परेषण को भेजा जाना है, उसे पिछले पृष्ठ के खंड (9) में अवश्य रिकार्ड किया जाना चाहिए.
10. जब प्रेषण पर प्रभार उसके बाद के सबसे सस्ते खुले मार्ग का लगाना हो तो सबसे सस्ता मार्ग बंद होने पर अथवा अंशत : बंद होने पर , प्रेषण पर जिस मार्ग का प्रभार लिया जाना है उसे पिछले पृष्ठ के खंड (10) में रिकार्ड किया जाना चाहिए. When a consignment is to be charged via [illegible] respect open route, the [illegible] route, wholly closed or partially closed the route on which the consignment is to be charged, must be recorded in Clause (10) overleaf.

[illegible] "A" clauses and words which are inapplicable are to be struck out before the Forwarding Note is signed.

N.R. [illegible]